

याद रखें कि....

- ये सुनिश्चित करें कि आपके आव्रजन रेकॉर्ड्स सही हैं।
- अपने सबसे नवीनतम जारी किये गए आव्रजन प्रपत्र प्रस्तुत करें
- ऐसे आव्रजन प्रपत्र प्रस्तुत करें जिसे SAVE सत्यापन के लिए उपयोग में लाया जा सके।

निम्न मार्गदर्शक निर्देशों का पालन करने से आप SAVE की मदद करेंगे और लाभ-प्रदान करने वाली एजेन्सी आपकी स्थिति को समय पर सत्यापित कर सकेगी।

यदि आपकी स्थिति तत्काल सत्यापित नहीं होती है, तब एजेन्सी आपको किसी दूसरे समय वापिस आने के लिए कह सकती है जब कि SAVE आपकी स्थिति को सत्यापित करने का काम जारी रखेगा। यदि ऐसा होता है, तब इसका अर्थ ये नहीं है कि आपकी स्थिति गैर कानूनी है अथवा आपको प्राप्य लाभों से अथवा उस लायसेन्स से, जिसे एजेन्सी द्वारा जारी किया जाता है वंचित किया जा रहा हो। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि SAVE को आपके रेकॉर्ड्स की जांच के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है।

SAVE सत्यापन प्रक्रिया के संबंध में अधिक जानकारी के लिए लाभ प्रदान करने वाली एजेन्सी के प्रतिनिधि से बात करें अथवा SAVE की वेबसाइट www.uscis.gov/SAVE पर भेंट दें और "Information for Noncitizens Applying for a Public Benefit" (सार्वजनिक लाभ के लिए आवेदन करने वाले गैरनागरिक) पर जाएं।

SAVE

सिस्टमेटिक एलियन वेरिफिकेशन फॉर इन्टायटलमेन्ट्स
(पात्रता के लिए सुव्यवस्थित विदेशी सत्यापन)



U.S. Citizenship
and Immigration
Services

लाभ आवेदक के रूप में SAVE की प्रक्रिया को समझना

www.uscis.gov/SAVE



अद्यतन होने की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए अथवा
अपने आव्रजन रेकॉर्ड्स को सही करने के लिए भेंट दें

<http://infopass.uscis.gov>

या कॉल करें

द नैशनल कस्टमर सर्विस सेन्टर
1-800-375-5283



SAVE प्रोग्राम क्या है?

यदि आप गैर नागरिक हैं, अन्य देश से आए हुए नागरिक हैं अथवा व्युत्पन्न नागरिक हैं, तब लाभ प्रदान करने वाली एजेन्सी आपके आव्रजन स्थिति की जांच सिस्टमेटिक एलियन वेरिफिकेशन फॉर इन्टायटलमेन्ट्स (SAVE) प्रोग्राम के जरिये, आपको सामाजिक सुरक्षा कार्ड, आवास सहायता, मेडिकेड, भोजन स्टाम्पस अथवा राज्य द्वारा जारी वाहन चालन लायसेन्स।

सेव द्वारा आपकी आव्रजन स्थिति के साथ अधिकृत जन एजेन्सियों को मुहैया करवाया जाता है। एजेन्सियों द्वारा आपकी स्थिति व अन्य जानकारी का उपयोग ये जानने के लिए किया जाता है कि आप उनके द्वारा जारी किये जाने वाले जन लाभों को पाने के लिए पात्र हैं या नहीं। ये एजेन्सी का उत्तरदायित्व है कि वे SAVE सत्यापन प्रक्रिया का अनुपालन अन्य आवश्यकताओं के साथ करें और लाभ के लिए आपकी पात्रता को सुनिश्चित करें। एजेन्सी द्वारा और SAVE द्वारा नहीं, ये तय किया जाता है कि आपको लाभ प्रदान किया जाए या नहीं।

SAVE प्रोग्राम द्वारा ये सत्यापित किया जा सकता है:

- गैर आव्रजन स्थिति
- आव्रजन स्थिति
- अन्य स्थान से आए हुए और व्युत्पन्न नागरिकों के लिए यू.एस. नागरिकता



सार्वजनिक लाभ या लायसेन्स के लिए आवेदन करते समय आपको क्या करना होता है?

- आवेदन करने से पहले ये सुनिश्चित करें कि आपके रेकॉर्ड्स सही हैं।

यदि आपने हाल ही में अपना नाम या अन्य व्यक्तिगत जानकारी को बदला है, अथवा आपके आव्रजन प्रपत्र पर दी गई जानकारी सही नहीं है, तब आपको अपने आव्रजन रेकॉर्ड को सही करने की आवश्यकता होगी। इस प्रक्रिया को शुरू करते समय, हमारे स्थानीय यूएससीआईएस आव्रजन कार्यालय <http://infopass.uscis.gov> में जाने के लिए अपॉइंटमेंट लें अथवा अधिक जानकारी के लिए नैशनल कस्टमर सर्विस सेन्टर पर 1-800-375-5283 संपर्क करें।

- अपने सबसे नवीन जारी आव्रजन प्रपत्र दिखाएं।

ये सुनिश्चित करें कि आपको जब भी किसी लाभ के लिए आवेदन करना हो, तो सबसे नवीन जारी आव्रजन प्रपत्र ही प्रस्तुत करें। इससे एजेन्सी को SAVE के साथ आपकी आव्रजन स्थिति को सत्यापित करने में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए यदि आपको नवीन एम्प्लॉयमेंट ऑथोरायजेशन कार्ड मिला है, तब उसे प्रस्तुत करें ना कि पुराने को जो समाप्त हो चुका है।

SAVE

- आव्रजन प्रपत्र दिखाएं जिसे SAVE सत्यापन के लिए इस्तेमाल किया जा सके।

सबसे सामान्य आव्रजन प्रपत्र जो सत्यापन के लिए उपयोग में लाए जा हैं, वो हैं:

- नागरिकता का प्रमाणपत्र
- DS-2019 (एक्स्चेन्ज विजिटर स्थिति के लिए पात्रता प्रमाणीकरण (J-1))
- I-20 (गैर आव्रजन विद्यार्थी स्थिति हेतु पात्रता प्रमाणपत्र (F-1))
- I-94 (आगमन/निर्गमन रेकॉर्ड)
- I-94 (आगमन/निर्गमन रेकॉर्ड) एक वैध विदेशी पासपोर्ट में
- I-327 (पुनः प्रवेश अनुमति पत्र)
- I-551 (स्थायी निवासी कार्ड)
- I-571 (शरणार्थी यात्रा प्रपत्र)
- I-766 (रोजगार अधिकृति दस्तावेज)
- I-797A (कार्य का नोटिस) अलेन क्रमांक के साथ अथवा I-94 (आगमन/निर्गमन रेकॉर्ड)
- मशीन द्वारा पठनीय आप्रवासन वीजा (अस्थायी I-551 भाषा के साथ)
- व्युत्पन्नता संबंधी प्रमाण पत्र
- अस्थायी I-551 स्टाम्प (पासपोर्ट अथवा I-94 पर)
- असमाप्त विदेशी पासपोर्ट

इस सूची में सभी स्वीकार्य आव्रजन प्रपत्र शामिल नहीं हैं। यदि आपके पास कोई ऐसा दस्तावेज हो जो इस सूची में नहीं हो, तो उसे लाभ प्रदान करने वाली एजेन्सी के सम्मुख प्रस्तुत करें।

